इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

पत्रांक : 359/ ज.स.अ./ वि./प्रा./ 2017-18 दिनांक 09.03.2018

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास के अन्तर्गत इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कालिन्दीपुरम आवास योजना के गोकुल सेक्टर में भवनों का पंजीकरण आवेदन पत्र सूडा द्वारा चयनित लाभार्थियों से दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, हिन्दुस्तान के अंक में दिनांक 09.02.2018 को सूचना-प्रकाशित कराते हुए दिनांक 09.02.2018 से 09.03.2018 तक आमंत्रित किये गये थे। उक्त पंजीकरण की अवधि अब दिनांक 10.04.2018 तक बढ़ाई जाती है। योजना से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तें पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के अधीन रहेगी।

सचिव

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास प्राप्त किये जाने हेतु सहमति/पंजीकरण आवेदन पंजीकरण अवधि दिनांक 09.02.2018 से 09.03.2018 तक

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास के अन्तर्गत इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कालिन्दीपुरम् आवास योजना के गोकुल सेक्टर में 312 भवनों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। शासन द्वारा इन भवनों का मूल्य रु. 4.50 लाख निर्धारित किया गया है, जिसमें से रु. 2.50 लाख का अनुदान भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा अवशेष धनराशि रु. 2.00 लाख का भुगतान उपरोक्त भवन हेतु चयनित पात्र व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत सहमति/पंजीकरण आवेदन सूडा द्वारा सत्यापित लाभार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। सूडा द्वारा सत्यापित लाभार्थियों की सूची इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट **www.adaallahabad.in** पर देखा जा सकता है तथा सिविल लाइन्स स्थित इन्दिरा भवन के 8वें तल पर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष संख्या-824 में श्री राकेश कोटार्य, राजस्व लिपिक से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सहमति/पंजीकरण आवेदन पुस्तिका एवं आवेदन पत्र रु. 50.00 के नगद भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में इन्दिरा भवन के सातवें तल स्थित प्राधिकरण के जनसम्पर्क कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 09.03.2018 तक प्राधिकरण के जनसम्पर्क कार्यालय में जमा की जा सकती है। पंजीकरण पुस्तिका में आवंटन हेतु समस्त नियम एवं शर्तें अंकित हैं। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार रु. 20,000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के नाम से देय) को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना तथा आवेदन पत्र पर सूडा सूची में से लाभार्थी क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा।

पत्रांक - 322/ज.स.अ./वि./प्रा./2017-18

दिनांक : 08.02.2018

सचिव

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद